IS 15700:2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त,
3सी/124–125, बौद्ध विहार, मुरादाबाद
Email : circle5@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांक : 1285 /पीएमएवाई/ 80 दिनांक 11-:09.2018

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत "भागीदारी में किफायती आवास" हेतु डिमाण्ड सर्वे</u>

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश दि० 26.09.2017 के अनुपालन में सूडा/डूडा द्वारा चिन्हित "भागीदारी में किफायती आवास" घटक के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को अवगत कराया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित दुर्बल आय वर्ग भवनों हेतु रू0 2.50 लाख की सब्सिडी भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। सब्सिडी के अतिरिक्त उपरोक्त पात्र व्यक्तियों को प्रत्येक भवन हेतु रू0 2.00 लाख मात्र जमा करना होगा। भवन के मूल्य पर नियमानुसार जी0एस0टी0 भी चयनित पात्र व्यक्ति द्वारा देय होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती घटक के अन्तर्गत मझोला योजना संख्या–4, भाग–2 (विस्तार), मुरादाबाद के अन्तर्गत सेक्टर–15 एवं 16 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा 2016 नग (अनुमानित) जी+3 दुर्बल आय वर्ग भवनों/फ्लैटों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः सूडा/डूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अन्तर्गत **"चिन्हित पात्र लाभार्थियों"** को सूचित किया जाता है कि यदि वह परिषद द्वारा उक्त स्थान पर भवन/फ्लैट लेने के इच्छुक हैं तथा लाभार्थी अंश रू0 2.00 लाख एवं जी0एस0टी0 देने हेतु सहमत हैं तो परिषद कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–25, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, भवन संख्या–3सी/115, 118 व 119, बौद्ध विहार, मझोला, मुरादाबाद से निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर दिनांक 28.09.2018 तक अपना सहमति पत्र निम्नलिखित अभिलेखों के साथ परिषद कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें।

1– डूडा/सूडा में आवेदित/ऑन लाइन प्रार्थना–पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।

2– आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।

3– उक्त सूचना के साथ हस्ताक्षरित सहमति पत्र कलर फोटो सहित।

11/9/18

अधीक्षण अभियन्ता